राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

.....

कमांकः मॉ0 प्र0/डीएलबी/सर्म्पक/20/29-124 जयपुर,दिनांकः 17.02.2020

आयुक्त /अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम /परिषद /पालिकाऐ
समस्त राजस्थान ।

विषयः– राजस्थान सम्पर्क (सी एम हेल्पलाईन) के प्रकरणों का निर्धारित अवधि में सन्तोषप्रद निस्तारण करने हेतु निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के परिवादों की समीक्षा राज्य सरकार के सर्वोच्च स्तर पर की जा रही है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली वीडियों कोन्फेस में भी पोर्टल के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में जिला स्तर पर भी सम्बधित जिला कलक्टर द्वारा परिवेदनाओं के निस्तारण की समीक्षा की जा रही है ।

प्रायः देखने में आया है कि नगर निकायों के स्तर पर प्रकरणों का यथा समय जबाब नहीं दिये जाने के कारण काफी संख्या के प्रकरण स्तर –1 तथा स्तर 2 से भी विभाग के स्तर 3 पर बिना कार्यावाही/बिना जबाब अग्रेषित हो रहे है जो उदासीनता का प्रतीक है काफी प्रकरणों में जबाव सन्तोषप्रद नही पाये गये है या बार–बार रि–ओपन होने पर आंशिक जवाब देकर प्रकरण का उचित निस्तारण नही किया जाना पाया गया है। जो गम्भीर विषय है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाले समस्त प्रकरणों की स्वंय समीक्षा कर उचित एंव सन्तोषप्रद जवाब देकर प्रकरण का निस्तारण निर्धारित अवधि में ही पूर्ण करें । जिन प्रकरणों में यदि परिवेदना प्रस्तुत करने वाले आवेदक से कोई कार्यवाही अपेक्षित हो तो विधिवत स्पष्ट टिप्पणी कर प्रार्थी को अवगत करावे। मांग (डिमांड) से सम्बधित परिवेदनाओं का भी उचित सन्तोषप्रद जवाब दिया जावे कि बजट की स्थिति, आगामी योजना में शामील करने अथवा विभाग स्तर या अन्य स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही के सम्बध में आप द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण स्पष्ट. रूप से अंकित करते हुऐ गुणवत्ता पूर्ण प्रकरण का निस्तारण करें । रि–ओपन प्रकरणों में विशेष ध्यान देकर प्रार्थी की असन्तुष्टी के कारण का उचित जबाव भी देवें।

उक्त प्रकरणों का यथासमय निस्तारण नही करके , बिना जबाव दिये प्रकरण अग्रेषित होने तथा उचित अपेक्षित जबाव नही देकर मिथ्या जबाव देने पर सम्बधित दोषियों के विरूद्ध अनुशासानात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । साथ ही राजस्थान सम्पर्क पर नगरीय निकायों की मैपिगं स्थानान्तरण /कार्यभार हस्तानान्तरण होते ही विभाग को पत्र भिजवाकर तत्काल दुरस्त करावें। काफी समय पश्चात तक भी मैपिगं सही नही पाये जाने की स्थिति में दोषी अधिकारीयों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner

क्रमांकः मॉ0 प्र0 / डीएलबी / सर्म्पक / 20 / 125-131 दिनांकः 17.02.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय) समस्त राजस्थान को पालनार्थ प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned with CamScanner